HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनांक 24.03.2023

प्रभावी पैरवी कर 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गईः-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 21.08.2010 को थाना कुरारा, जनपद-हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 867/10 अन्तर्गत धारा 364/34 आईपीसी में नामजद अभियुक्तगण 1) हरिओम सिंह पुत्र मुंशी सिंह निवासी ग्राम पारा (शंकरपुर) थाना कुरारा जनपद हमीरपुर 2) स्वराज्य उर्फ बबलू सिंह पुत्र जयहिंद सिंह निवासी पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपीगण को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।